रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28122020-223947
CG-DL-W-28122020-223947

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2020, शनिवार / अग्रहायण 22 — अग्रहायण 28, 1942
No. 40] NEW DELHI, DECEMBER 13-DECEMBER 19, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 22-AGRAHAYANA 28, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग (ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी) भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या किए जाने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100 - 177500)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
11
I. प्रोन्नति: ऐसे विभागीय संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600-151100 रु.) की उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा किए हों और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **II. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :- क. (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 8 (47600-151100 रु.) या इसके समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्षों की सेवा किए हों; और ख. जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समतुल्य से सिविल या यांत्रिकी या वैद्युत या स्वच्छता या लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिप्लोमा; और (ii)कार्यालय भवन के अनुरक्षण और रख-रखाव, स्वच्छता प्रतिष्ठापन सहित, वातानुकूलन उपस्करों और विद्युत संस्थापन में पांच वर्षों का अनुभव । **टिप्पण-1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. सचिव या अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा या समान्य शाखा का भारसाधक),संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) या उप सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक),संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सामान्य का भारसाधक),संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य	पदों को भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021 / 04 / 2018 – स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission (Senior Estate Manager and Meeting Officer) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Estate Manager and Meeting Officer in the Office of Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Senior Estate Manager and Meeting Officer) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Estate Manager and Meeting Officer	01* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 (56100-177500) in the pay matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

<table>
<tr><td>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods</td><td>In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made</td></tr>
<tr><td>(10)</td><td>(11)</td></tr>
<tr><td>Promotion failing which by deputation (including short-term contract).</td><td><u>I. Promotion</u>

The Departmental Estate Manager and Meeting Officer in level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with two years of regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field as prescribed by the administrative ministry.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

II. Deputation (including short-term contract)

Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department;

or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:-

(i) Diploma in Civil or Mechanical or Electrical or Sanitary or Public Health Engineering from a recognised University or equivalent; and

(ii) five years' experience in the upkeep and maintenance of office buildings, including sanitary installations, air conditioning equipments and electrical installations.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.</td></tr>
</table>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Secretary or Additional Secretary (In-charge of Administration Branch or General Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (Administration) or Deputy Secretary, Union Public Service Commission - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Secretary, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In-charge of General), Union Public Service Commission) - Member;	

[F. No. 39021/04/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि.193.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या किए जाने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600 - 151100)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(11)
I प्रोन्नति ऐसे विभागीय सम्पदा पर्यवेक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900-142400 रु.) की उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा किए हो और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । जिसके ना हो सकने पर ऐसे विभागीय अभिरक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400) में उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा किये हो और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

II प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या संविधि या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 7 (44900-142400 रु.) या इसके समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्षों की सेवा किए हों; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिकी या वैद्युत या स्वच्छता या लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिप्लोमा; और

(ii) कार्यालय भवन के अनुरक्षण और रख-रखाव, स्वच्छता प्रतिष्ठापन सहित, और वातानुकूलन उपस्करों या विद्युत संस्थापन में तीन वर्षों का अनुभव ।

टिप्पण-1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव (प्रशासन का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।)

[फा. सं. 39021 / 04 / 2018 – स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission Estate Manager and Meeting Officer Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Estate Manager and Meeting Officer in the Office of Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission Estate Manager and Meeting Officer, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Estate Manager and Meeting Officer	2* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' , Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation(including short-term contract)	**I. Promotion** The Departmental Estate Supervisor in level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with two years of regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field as prescribed by the administrative ministry. Failing which by The Departmental Caretaker in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with six years of regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field as prescribed by the administrative ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **II. Deputation (including short-term contract)** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation.

	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Diploma in Civil or Mechanical or Electric or Sanitary or Public Health Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) three years experience in the upkeep and maintenance of office buildings, including Sanitary installations and air conditioning equipment or electrical installations. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Secretary (In charge of Administration), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In charge of Administration) Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In charge of General Branch) Union Public Service Commission - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation (including short-term contract) basis.

[F. No. 39021/04/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 194.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (रखवाल) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रखवाल के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (रखवाल) भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रखवाल	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 - 112400) ।	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की गयी हो ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- (1) स्वच्छता या लोक स्वास्थ्यकारिता में डिप्लोमा या विद्युत या सिविल इंजीनियरी या स्व्च्छता इंजीनियरी में डिप्लोमा; और (2) कार्यालय भवन के रख-रखाव में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 –** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 –** अनुभव संबंधी अर्हता	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी । (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29200-92300 रू.) में इस पद पर

(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			छह वर्ष की नियमित सेवा की हों; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो ।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव (प्रशासन का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 39021 / 04 / 2018 – स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Caretaker in the Office of Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Caretaker	2* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 (Rs. 35400-112400) in pay matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years of age. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential:- (1) Diploma in Sanitary or Public Hygiene or Diploma in Electrical or Civil Engineering or Sanitary Engineering; and (2) two years' experience in maintenance of office buildings. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or	Not applicable.

(ii) with six years regular service in posts in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Secretary (In charge of Administration), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In charge of Administration) Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In charge of General Branch) Union Public Service Commission -Member;	Not applicable

[F. No. 39021/04/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जहाँ तक मलेरिया निरीक्षक पद से सम्बंधित है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' के पद) भर्ती नियमावली 1980 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) में मलेरिया निरीक्षक उक्त पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम मलेरिया निरीक्षक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर **या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ** (2) **से स्तंभ** (4) **में विनिर्दिष्ट** है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।